

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 जुलाई 2013—आषाढ़ 24, शक 1935

वित्त विभाग
(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्र. एफ. 306-11-01-2012-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) के खण्ड (1) सहपठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, श्री ए. के. अग्रवाल (आय.ए.एस. सेवानिवृत्त) एवं श्री सत्यप्रकाश (आय.ए.एस. सेवानिवृत्त) को सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं तथा धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग को आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2013

एफ. 11-01-2012-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-01-2012-आनीविइ-चार, दिनांक 15 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 15th July 2013

No. 306-F 11-01-12-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh hereby appoints Shri A. K. Agrawal (I.A.S. retired) and Shri Satyaprakash (I.A.S. retired) as Members State Finance Commission and under the provisions of Section 4 appoints Member Secretary, State Planning Commission as ex-officio member of the State Finance Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANISH RASTOGI, Secy.